(351)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक एफ.3(36)नविवि/3/2012

जयपुर दिनांक 19 MAR 2013

सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।

निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।

समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

अध्यक्ष/सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।

सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर।

विषयः– नीलामी द्वारा क्रय किये गये भूखण्डो पर निर्माण की समयावधि निर्धारित करने बाबत्।

महोदय,

विभागीय पत्र क्रमांक एफ.9(63)नविआ/3/81 जयपुर दिनांक 30.10.96 को एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 23.03.91 द्वारा राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 14(ए) में यह प्रावधान किया गया है कि नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष में निर्माण नहीं करने पर विक्रय राशि की 5 प्रतिशत की दर से राशि वसूल की जाकर निर्माण अवधि बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में याचिका संख्या 2326/1991 में निर्णय दिनांक 01.09.1993 के अनुसार अधिसूचना दिनांक 23.03.1991 जिसके द्वारा 1974 के नियम 14 (ए) में नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों में निर्माण की अवधि लागू की गयी है। यह भविष्यलक्षी प्रभाव से ही लागू होने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। अतः नियम 14 (ए) के प्रावधान लागू होने के दिनांक से ही निर्माण समयावधि में नहीं करने पर शास्ती राशि देय होगी, इससे पूर्व के विक्रय से क्रय किये गये भूखण्डों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

19/3/2013
(एन.एल.मीना)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

(100)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2 विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

4 निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

5. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

6. संयुक्त शासन सचिव- द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

7. शासन उप सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

8 निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरणानुसार समस्त संबंधित को अवगत कराने का श्रम करें।

9. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।

11. समस्त अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान।

12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय